(91)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक पुनर्वालोकन—6267/2018/दतिया/भू.रा के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17.10.2018 के द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 2162—एक/2011.

.....

महन्त सियारामशरण शिष्य महन्त रामदेवशरण
निवासी हनुमत भवन, गोलाघाट आयोध्या
जिला फैजावाद उत्तर प्रेदश

———आवेदक

विरूद्ध

संतशरण चेला पुरूषोत्तम दास
निवास लक्ष्मण घाट अयोध्या
जिला फैजावाद उत्तर प्रदेश
तथाकथित निवासी हनुमत भवन, गोलाघाट
आयोध्या जिला फैजावाद उत्तर प्रेदश

———अनावेदक

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक एक पक्षीय है

.....

आदेश

(आज दिनांक 04-04-19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह आवेदन मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 2162—एक/2011 में पारित आदेश दिनांक 17.10.18 को रिव्यु में लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2—रिव्यु का आवेदन दिनांक 18.12.18 को ग्राह्य किया गया था तथा अनावेदक को सूचना पत्र भेजे जाने के आदेश दिये गये। साधारण पद्वति से सूचना पत्र की तामील न हो पाने के

कारण पंजीकृत डाक द्वारा सूचना पत्र भेजा गया। अनावेदकके उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने।

3–आवेदक अधिवक्ता का एक मात्र तर्क यह है कि महंत रामदेवशरण की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर आवेदक तथा अनावेदक ने अपने–अपने नामांतरण हेतु तहसीलदार भाण्डेर के न्यायालय में कार्यवाही की थी। तहसीलदार आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया। प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के बाद अनावेदक की आपत्ति को अस्वीकार करते हुये पुनः आवेदक के हित में नामांतरण का आदेश दिया गया था। अनावेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्व की गई अपील को अनुविभागीय अधिकारी के न्यायलय से निरस्त किये जाने पर अनावेदक ने द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिसे अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर ने यह कारण दर्शाते हुये स्वीकार किया कि दशम अपर जिला न्यायाधीश फैजाबाद द्वारा निर्णय दिया गया है। आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपर जिला न्यायाधीश के जिस निर्णय को आधार बनाकर अपर आयुक्त ग्वालियर ने अपील स्वीकार की थी वह वाद बैंक खातों में जमा मंदिर की राशि से संबंधित था। उसमें स्व0 रामदेवशरण की व्यक्तिगत भूमि का विवाद नहीं था और ना ही न्यायालय ने भूमि पर स्वत्व के संबंध में कोई निर्णय दिया हैं तहसीलदार ने उनके समक्ष दी गई साक्ष्य के आधार पर आवेदक को स्व0 रामदेवशरण दास का उत्तराधिकारी मान्य करते हुये आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया था। अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क किया गया है कि इस न्यायलय ने अपर आयुक्त के आदेश को यथावत रखने में त्रुटि की है। अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत वाद में चाही गई राहत एवं उनके द्वारा दिये गये निर्णय का अवलोकन होने से रह गया है इस कारण आवेदक का पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

4–आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क के संदर्भ में मेरे द्वारा अपर जिला न्यायाधीश फैजाबाद के समक्ष प्रस्तुत वाद में पारित निर्णय दिनांक 30.11.98 का अवलोकन किया गया। अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय के पद–2 से स्पष्ट है कि उनके समक्ष यह याचना की गई थी कि इस आशय की घोषणात्मक डिकी उसे प्राप्त नहीं हो सकती है। यदि वाद द्वारा बैंको

में जमा धनराशि के संचालन हेतु घोषणत्मक डिक्री मांगी गई होती तो उसे दी जा सकती थी, परंतु उस धनराशि के भुगतान हेतु घोषणात्मक डिक्री उसे नहीं दी जा सकती। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क तथा अपर जिला न्यायाधीश फैजाबाद के समक्ष में चाही गई राहत तथा उनके द्वारा दिये गये निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त न्यायालय के समक्ष स्व0 रामदेवशरण दास की व्यक्तिगत कृषि भूमि का विवाद नहीं था, और ना ही कृषि भूमि के संबंध में कोई निर्णय दिया गया हैं अतः इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 17.10.2018 पुनरावलोकन में लिया जाकर निरस्त किये जाने योग्य है।

5–उपरोक्त विवेचना के अनुसार पुनरावलोकन का यह आवेदन स्वीकार किया जाताहै इसन्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 2162–एक / 2011 में पारित आदेश दिनांक 17.10. 2018 निरस्त किया जाकर निगरानी प्रकरण में पुनः सुनवाई किये जाने आदेश दिये जाते हैं।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर